



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1024/2026

जुबैर

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता: सुनील कुमार सरोज

विपक्षी पक्ष(कों) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आज पूरक हलफनामा दाखिल किया है जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सरोज और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत यह जमानत याचिका आवेदक जुबैर की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें वाद संख्या 719/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत, पुलिस स्टेशन लोहियानगर, जिला मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस वाद में झूठा फंसाया गया है।

अनुलग्नक संख्या 3 में संलग्न गिरोह-वृत्तचित्र में पांच आपराधिक वाद दर्शाए गए हैं और सभी मामलों में आवेदक जमानत पर है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गिरोह-वृत्तचित्र में दर्शाए गए मामलों के अलावा, आवेदक का एक आपराधिक इतिहास भी है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उसका समर्थन किया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 18.12.2025 से कारावास में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

सभी तथ्यों, उनकी प्रकृति और अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और वाद की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक **जुबैर** को उपरोक्त वाद में, अपराध संख्या संख्या , पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक वाद की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

16 जनवरी, 2026

मिनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।